आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020[1]

[23.10.2023 को अद्यतन किया गया]

आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18वां) की धारा 53 की उप-धारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित धारा 53 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवृत्त होना:- (1) ये नियम सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में संदर्भ के अनुसार जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किये गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) में उनके लिए निर्धारित किया गया अर्थ ही होगा।

3. आधार अधिप्रमाणन के प्रयोजन- (1) केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सुशासन के हित में, सार्वजनिक निधियों के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच समर्थ करने लिए, अनुरोधकर्ता निकायों द्वारा आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दे सकती है, अर्थात्:-

(क) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग;

(ख) सामाज कल्याण लाभों के उपव्यय की रोकथाम; तथा

(ग) नवोद्भव को समर्थ बनाना और ज्ञान का प्रसार करना।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा।

4. प्रस्ताव तैयार करना:- नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक भारत सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रस्ताव के बारे में औचित्य के साथ प्रस्ताव तैयार करेगा जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की गई है और इसे प्राधिकरण के संदर्भ के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

---

[1] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i), संख्या 385 दिनांक 5.8.2020 में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 490 (अ), दिनांक 5.8.2020 द्वारा प्रकाशित।

5. प्रस्ताव की जांच :- नियम 4 के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि प्रस्ताव नियम 3 में वर्णित प्रयोजनों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है, तो यह केंद्र सरकार को सूचित करेगा कि अनुरोधकर्ता निकाय को आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाए और इसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, को केंद्र सरकार द्वारा इसे तदनुसार अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।